फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

वली मोहम्मद बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 23 उप. नम्बर.........../2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.8.18	अभिभाषक अपीलांट श्री रणजीत सिंह निर्वाण उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। विद्वान अभिभाषक अपीलांट को पत्रावली पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया गया कि अपीलांट को वाके रोही नसूमा के खेत खसरा नम्बर 26 में 27 बीघा भूमि का संवत् 2040 में आवंटन किया गया था। जोकि चकबन्दी में आने पर सूची नम्बर 4 के अनुसार उक्त भूमि चक 9 टीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 124/61 के किला नम्बर 1 ता 25, मुरब्बा नम्बर 124/62 के किला नम्बर 1 ता 5 व मुरब्बा नम्बर 124/54 के किला नम्बर 1 ता 5 में पैमूद हुई। अपीलांट को आवंटित चक 9 टीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 124/61 के किला नम्बर 3, 8, 11 ता 15, 18, 19, 22, 23 मुरब्बा नम्बर 124/54 के किला नम्बर 1 ता 5 व मुरब्बा नम्बर 124/62 के किला नम्बर 1 ता 5 में कुल 5 बीघा इस प्रकार कुल तादादी 27 बीघा पैमूद हुई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की टीसी से पुख्ता आवंटन हेतु 19 बीघा कमाण्ड भूमि की पात्रता तय की गई, परन्तु अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को मात्र 10 बीघा कमाण्ड भूमि टीसी से पुख्ता आवंटन किया गया है। उन्होनें आगे बताया कि जब अपीलांट की पात्रता 19 बीघा कमाण्ड की तय की गई थी तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को अपीलांट की पात्रता अनुसार 19 बीघा कमाण्ड भूमि का आवटन किया जाना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह अंकित करते हुए कि चक 9 टीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 124/61 के किला नम्बर 1 ता 25 की भूमि विशेष आवंटन हेतु गजट में साया है अतः शेष 10 बीघा भूमि का टीसी से पुख्ता आवंटन किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा मनमाने तरीके से	

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

Scanned by CamScanner

आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जबकि उक्त भूमि खसरा नम्बर 26 से बनी है जिस पर अपीलांट का अस्थाई आवंटन चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में यदि वादगत् भूमि का आवंटन अन्य किसी व्यक्ति को बतौर विशेष आवंटन किया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत् भूमि चक 9 टीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 124/61 के किला नम्बर 3, 8, 11 ता 15, 18, 19, 22, 23 मुरब्बा नम्बर 124/54 के किला नम्बर 1 ता 5 व मुरब्बा नम्बर 124/62 के किला नम्बर 1 ता 5 में कुल 5 बीघा इस प्रकार कुल तादादी 27 बीघा पैमूद हुई के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकण में अदालत मातहत ने दिनांक 16–04–2015 को वादगत् भूमि चक 9 टीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 124/54 के किला नम्बर 1 ता 5 व मुरब्बा नम्बर 124/62 के किला नम्बर 1 ता 5 कुल तादादी 10 बीघा कमाण्ड भूमि का टीसी से पुख्ता आवंटन किया गया है।

प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि चूंकि अपीलांट खसरा नम्बर 26 में 27 बीघा भूमि का संवत् 2040 में टीसी आवंटन किया गया था। जोकि चकबन्दी में आने पर चक 9 टीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 124/61 के किला नम्बर 3, 8, 11 ता 15, 18, 19, 22, 23 मुरब्बा नम्बर 124/54 के किला नम्बर 1 ता 5 व मुरब्बा नम्बर 124/62 के किला नम्बर 1 ता 5 में कुल 5 बीघा इस प्रकार कुल तादादी 27 बीघा पैमूद हुई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की टीसी से पुख्ता आवंटन हेतु 19 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटन की पात्रता तय की गई परन्तु अपीलांट को 10 बीघा कमाण्ड भूमि टीसी से पुख्ता आवंटित की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की पात्रता हेतु शेष रही भूमि चक 9 टीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 124/61 के किला नम्बर 3, 8, 11 ता 15, 18 व 23 की 9 बीघा भूमि के आवंटन का अपीलांट पात्र है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अन्य किसी को आवंटित नहीं हो, लिहाजा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

इस संबंध में हमने अदालत मातहत के आदेश व पत्रावली के साथ उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि अपीलांट को टीसी आवंटित भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में साबित है।

प्रकरण में चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट को टीसी आवंटित भूमि है। ऐसी स्थिति में हम यह निर्देश देना उचित पाते है कि अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष टीसी से पुख्ता आवंटन से शेष रही भूमि चक 9 टीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 124/61 के किला नम्बर 3, 8, 11 ता 15, 18 व 23 की 9 बीघा भूमि हेतु अपना लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। अदालत मातहत अपीलांट द्वारा लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर, अपीलांट की विधि सम्मत पात्रता होने पर ही नियमानुसार एक माह की अवधि में निर्णय पारित करें।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner